फाइल नं0-71-3002(002)/2024-03

78/2024/I/687151/2024

प्रेषक,

चन्द्रशेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
कानपुर देहात, पीलीभीत, चन्दौली, गोण्डा तथा औरैया।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर देहात, पीलीभीत, चन्दौली, गोण्डा तथा औरैया में विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2024-25/57, दिनॉक 14.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-9/2024/I/478530/2024-71-3002(002)/20/2023-03, दिनॉक 24.01.2024 द्वारा फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर देहात, पीलीभीत, चन्दौली, गोण्डा तथा औरैया में विद्युत संयोजन हेतु आकलित लागत के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	विद्युत संयोजन हेतु स्वीकृत लागत	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
1	मेडिकल कालेज, कानपुर देहात	6.3700	3.1850
2	मेडिकल कालेज, पीलीभीत	14.4570	7.2285
3	मेडिकल कालेज, चन्दौली	10.9497	5.4748
4	मेडिकल कालेज, गोण्डा	14.4085	7.2042
5	मेडिकल कालेज, औरैया	8.3827	3.1113

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर देहात, पीलीभीत, चन्दौली, गोण्डा तथा औरैया में विद्युत संयोजन हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि (निम्नांकित तालिका के कॉलम-3 के अनुसार) के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि (निम्नांकित तालिका के कॉलम-5 के अनुसार) निम्न विवरणानुसार कुल रू0 28.3641 करोड़ (रू0 अट्ठाईस करोड़ छत्तीस लाख इकतालीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मेडिकल कालेज, कानपुर देहात	10.00	4210-03-105-8920-24	3.1850

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	मेडिकल कालेज, पीलीभीत	10.00	4210-03-105-8918-24	7.2285
3	मेडिकल कालेज, चन्दौली	10.00	4210-03-105-8915-24	5.4749
4	मेडिकल कालेज, गोण्डा	10.00	4210-03-105-8912-24	7.2043
5	मेडिकल कालेज, औरैया	10.00	4210-03-105-8919-24	5.2714
			कुल योग-	28.3641

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित विवरणानुसार फेज-3 के मेडिकल कालेजों में विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि संबंधित प्रधानाचार्यो द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य एवं आडिट कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/चिकित्सा संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
7. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्यो/कार्यदायी संस्था की होगी।
8. शासनादेश संख्या-9/2024/I/478530/2024-71-3002(002)/20/2023-03, दिनॉक 24.01.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4210031058912 (मेडिकल कालेज, गोण्डा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058912 मेडिकल कालेज, गोण्डा	24 वृहत् निर्माण कार्य	7,20,43,000 (रुपये सात करोड़ बीस लाख तैंतालीस हजार मात्र)
	कुल			**7,20,43,000** **(रुपये सात करोड़ बीस लाख तैंतालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058915 (मेडिकल कालेज, चन्दौली)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	031	4210031058915 मेडिकल कालेज, चन्दौली	24 वृहत् निर्माण कार्य	5,47,49,000 (रुपये पाँच करोड़ सैंतालीस लाख उनचास हजार मात्र)
	कुल			**5,47,49,000** **(रुपये पाँच करोड़ सैंतालीस लाख उनचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058918 (मेडिकल कालेज, पीलीभीत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058918 मेडिकल कालेज, पीलीभीत	24 वृहत् निर्माण कार्य	7,22,85,000 (रुपये सात करोड़ बाईस लाख पचासी हजार मात्र)
	कुल			**7,22,85,000** **(रुपये सात करोड़ बाईस लाख पचासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058919 (मेडिकल कालेज, औरैया)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058919 मेडिकल कालेज, औरैया	24 वृहत् निर्माण कार्य	5,27,14,000 (रुपये पाँच करोड़ सत्ताईस लाख चौदह हजार मात्र)
	कुल			**5,27,14,000** **(रुपये पाँच करोड़ सत्ताईस लाख चौदह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058920 (मेडिकल कालेज, कानपुर देहात)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058920 मेडिकल कालेज, कानपुर देहात	24 वृहत् निर्माण कार्य	3,18,50,000 (रुपये तीन करोड़ अठारह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**3,18,50,000** **(रुपये तीन करोड़ अठारह लाख पचास हजार मात्र)**

महायोग	28,36,41,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ छत्तीस लाख इकतालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, कानपुर देहात, पीलीभीत, चन्दौली, गोण्डा तथा औरैया।
11. कोषाधिकारी, कानपुर देहात, पीलीभीत, चन्दौली, गोण्डा तथा औरैया।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।